कार्यालय उ0प्र0 लोक सेवा आयोग,
संख्या– 1 (iv) / 26 / सी–3 / 2018–19
प्रयागराज : दिनांक : 26 नवम्बर, 2020

विज्ञप्ति

उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा– 2018 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने अथवा अन्य कारणों से शासन द्वारा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाने के फलस्वरूप घटित रिक्तियों को भरे जाने के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या– 30995 / 2019 पुनीत सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या– 1641 / 2020 रितु चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य तथा याचिका संख्या– 5576 / 2020, शिखर अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व 02 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा क्रमशः पारित आदेश दिनांक– 14.11.2019, 31.01.2020 एवं 23–09–2020के अनुपालन में शासन द्वारा प्रेषित पत्र संख्या– 784 / दो–4–2020 दिनांक– 06 नवम्बर, 2020 के माध्यम से दिये गये प्रस्ताव के क्रम में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के फलस्वरूप घटित 01 रिक्ति के सापेक्ष प्रश्नगत् परीक्षा की अवशेष श्रेष्ठता सूची से आरक्षण की शासकीय नीति का अनुपालन करते हुये अनारक्षित श्रेणी के श्रेष्ठताक्रमानुसार अनुक्रमांक 047315 कुल 01 अभ्यर्थी की संस्तुति शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(जगदीश)
सचिव।